

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर


क्रमांक एफ. 15(25)1992/गो.प्र./प्रमुवस/

दिनांक

कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के पत्रांक प.7(10)वन/2013 दिनांक 23.2.2018 के द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय द्वारा कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर वर्ष 1981-82 की पूर्व में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 11.5.1981 का पुनरावलोकन राजस्थान वन अधिनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत आदेश संख्या एफ15(25) 1992/गोप्र/प्रमुवस/3216/सी दिनांक 24.5.2019 द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा दिनांक 28.05.2019 को किया गया। पुनरावलोकन समिति की अभिशंषा अनुसार श्री रामस्वरूप श्रीवास्तव पुत्र बलराम किशोर कनिष्ठ लिपिक को वरिष्ठ लिपिक के पद पर वर्ष 1981-82 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठ लिपिक (वरिष्ठ सहायक) के तत्कालीन वेतनमान श्रृंखला संख्या (9) रुपये 385-10-415-15-490-20-650 में पदोन्नत किया जाता है।

राज्य सरकार के पत्रांक प7(10)वन दिनांक 23.2.2018 द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय द्वारा प्रभावित आगामी वर्षों तथा उक्त परिणाम स्वरूप उच्च पद वरिष्ठ लिपिक से कार्यालय सहायक के पद पर वर्ष 1996-97 की पूर्व में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 04.06.1998 का पुनरावलोकन राजस्थान वन अधिनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत आदेश संख्या 3216/सी दिनांक 24.5.2019 द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा दिनांक 28.5.2019 को किया गया। पुनरावलोकन समिति की अभिशंषा अनुसार श्री रामस्वरूप श्रीवास्तव पुत्र बलराम किशोर वरिष्ठ लिपिक को कार्यालय सहायक के पद पर वर्ष 1996-97 की रिक्तियों के विरुद्ध कार्यालय सहायक (सहायक प्रशासनिक अधिकारी) के तत्कालीन वेतनमान श्रृंखला (10) 5000-8000 में पदोन्नत किये जाने के आदेश प्रचलित किये जाते हैं।



(सी. एस. रत्नासामी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ. 15(25)1992/गो.प्र./प्रमुवस/ 3502-3505/c

दिनांक 30.5.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर।
2. उप वन संरक्षक, घोलपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री रामस्वरूप श्रीवास्तव पुत्र श्री बलराम किशोर तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक सेवानिवृत्त को प्रति वितरित करें।
3. अध्यक्ष मंत्रालयिक कर्मचारी समिति वन विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. रक्षी पत्रावली।


(योगेंद्र सिंह कालवी)
उप वन संरक्षक (प्रस्था. अराजपत्रित),
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर